संख्या-106/2026/ 1316941/सात-न्याय-9(बजट)-2026-07-9099/32/2026

प्रेषक,

उदय प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-9 (बजट) **लखनऊ: दिनांक 06 मई,2026**

विषय: मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीड, लखनऊ में आने वाले वादकारियों की सुविधा हेतु मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ परिसर के गेट-8 के समीप स्थित डिस्पेन्सरी के पीछे के क्षेत्र का नवीनीकरण व संशोधन करते हुए कवर्ड शेड एवं वाल के निर्माण कार्य हेतु **प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने के पत्र **संख्या-2446/ इन्फ्रा एच.सी./2026 सेल दिनांक 31.03.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से** मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीड, लखनऊ में आने वाले वादकारियों की सुविधा हेतु मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ परिसर के गेट-8 के समीप स्थित डिस्पेन्सरी के पीछे के क्षेत्र का नवीनीकरण व संशोधन करते हुए कवर्ड शेड एवं वाल के निर्माण कार्य हेतु आवश्यक **धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की अपेक्षा की गयी है।**

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीड, लखनऊ में आने वाले वादकारियों की सुविधा हेतु मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ परिसर के गेट-8 के समीप स्थित डिस्पेन्सरी के पीछे के क्षेत्र का नवीनीकरण व संशोधन करते हुए कवर्ड शेड एवं वाल के निर्माण कार्य हेतु **मूल्यांकित धनराशि रू0** 68.36 **लाख (जी0एस0टी0 सहित) (रूपये** अडसठ लाख छत्तीस हज़ार मात्र) **की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-**

(1) **उपर्युक्त निर्माण कार्य हेतु** उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 **कार्यदायी संस्था नामित है।**

(2) **स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।**

(3) **प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत किया जा रहा है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी मद/कार्य में किया जायेगा।**

(4) **स्वीकृत धनराशि किसी बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।**

(5) **कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अवशेष धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा करायी जाये।**

(6) **इस सम्बन्ध में सुसंगत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(7) **स्वीकृत धनराशि का उपभोग चालू वित्तीय वर्ष में अतिशीघ्र कर लिया जायेगा।**

(8) **इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2025/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-04-मा0 उच्च न्यायालय में निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य "के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2025/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 द्वारा प्राप्त प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उदय प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-106/2026/1316941(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2026-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2-प्रधान महालेखाकार(लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3-वरिष्ठ निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ।
4-निजी सचिव, अध्यक्ष, अवस्थापना, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को मा0 अध्यक्ष के अवगतार्थ।
5-जनपद न्यायाधीश, लखनऊ।
6-निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल जवाहर भवन, लखनऊ।
7-कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ के माध्यम से।
8-निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
9-परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 हाईकोर्ट ईकाई-1 लखनऊ।
11-वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12
12-गार्डबुक।

आज्ञा से,

(डा0 सत्यवान सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।